न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तगण

1. कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूलाल, (प्रोपराईटर एवं विक्रेता)

फर्मः– मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही
निवासी– कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, तहसील– आबूरोड़, जिला–सिरोही

2. श्री पटेल भरत पुत्र श्री कालुभाई, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी)

फर्मः– श्री हर्ष डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्टस् प्रा0लि0, Shop-C-513, Shreeji Hights, Near Laxmi Sky City, Hanspura, Daskroi, Ahmadabad-382330

F.S.S.Act Case No. 53/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 10 अक्टूम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरूद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 12–10–2024 को मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूलाल, निवासी– कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) का नमूना संख्या S-2507 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1509/Act/2024/1561 दिनांक 30–10–2024 में अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10–10–2025 को प्रतिवादी संख्या 1 (एक) कान्तिलाल अग्रपरल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया, जिस पर प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल को आज ही सुना गया। जबकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 (श्री पटेल भरत पुत्र कालुभाई) को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने को बावजूद भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 (श्री पटेल भरत पुत्र कालुभाई) के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 12–10–2024 को 02–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर प्रोपराईटर व विक्रेता की हैसियत से कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भूलाल, निवासी– कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Goyal
Date: 2025.10.17 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)
अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001

सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला— सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला— सिरोही की दुकान के अन्दर आम जनता को बिक्री हेतु खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) विभिन्न पैकिंग में रखे हुए पाया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल को गवाह रमेश कुमार पुत्र श्री अणदाराम, ग्राम पालडी धमाना, तहसील— सांचोर, जिला— जालोर के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला— सिरोही की दुकान के अन्दर आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) की विभिन्न पैकिंग घी में से पैकिंग को खुलवाकर 800 ग्राम खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 288/— (रुपये दो सौ अठीयासी मात्र) प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी (ब्राण्ड गोपी श्री) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में (प्रत्येक शीशी में 200—200 ग्राम) भरा एवं प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2507, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) की उक्त चारों नमूना शीशीयों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा घी (ब्राण्ड गोपी श्री) की उक्त चारों नमूना शीशीयों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 21—10—2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 12—10—2024 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Goyal
Date: 2025.10.17 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) के नमूना संख्या S-2507 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1509/Act/2024/1561 दिनांक 30–10–2024 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) का नमूना अमानक (Sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़ द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) के पैकिंग पैकेटों को मैसर्स श्री हर्ष डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्टस् प्रा0लि0, Shop-C-513, Shreeji Hights, Near Laxmi Sky City, Hanspura, Daskroi, Ahmadabad-382330 से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) की निर्माता/पैकर फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़ द्वारा अमानक (Sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) का विक्रय करके एवं प्रतिवादी फर्म मैसर्स श्री हर्ष डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्टस् प्रा0लि0, Shop-C-513, Shreeji Hights, Near Laxmi Sky City, Hanspura, Daskroi, Ahmadabad-382330 द्वारा अमानक (Sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोपी श्री) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 के तहत प्रतिवादी कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही (निवासी– कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही) पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) एवं प्रतिवादी फर्म श्री हर्ष डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्टस् प्रा0लि0, Shop-C-513, Shreeji Hights, Near Laxmi Sky City, Hanspura, Daskroi, Ahmadabad-382330 पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत तथा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को आदेशित किया जाता है कि न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित घी (ब्राण्ड गोपी श्री) जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर सीज किया गया है उसका नियमानुसार निस्तारण करे। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः कान्तिलाल अग्रवाल पुत्र श्री शम्भुलाल व श्री पटेल भरत पुत्र कालुभाई को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय/आदेश सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Goyal
Date: 2025.10.17 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested